न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—164 / 2016 / 223 आर.टी.एक्ट (2016 / 00164)

रघुवीर सिंह पुत्र नोनदसिंह मृतक जरिए वारिसान

1. विजय कंवर पत्नि स्व0 रघुवीरसिंह
2. कुलदीपसिंह पुत्र स्व0 रघुवीरसिंह
3. संदीपसिंह पुत्र स्व0 रघुवीरसिंह
4. रेनुकंवर पुत्री स्व0 रघुवीरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी हरमाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. प्रहलाद सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी हरमाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी गजानन्द कॉलोनी, रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
3. भंवरकंवर पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी गजानन्द कॉलोनी रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
4. आनन्दकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नि गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी अलमास (चौसला) तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. किशनकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नि सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डिडवाना तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. जगदीश कंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नि कुलदीपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंराई बिजली ऑफिस के सामने तहसील अंराई जिला अजमेर।
7. बृजकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नि शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
8. गजराजकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी गजानन्द कॉलोनी, रामनेर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
9. ओमकंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी गुन्दली तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
10. कमलकंवर पुत्री हनुमानसिंह पत्नि भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
11. नारायणसिंह पुत्र फतेहसिंह
12. उमरावसिंह पुत्र नोनदसिंह
13. राजेन्द्रसिंह पुत्र नोनदसिंह

    समस्त जाति राजपूत निवासी हरमाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
14. उप—पंजीयक अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर।
16. राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्रीलाल जाति जाट निवासी तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 राजस्व वाद संख्या 39 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री पी0एस0 नरूका अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुमित जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16

4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14 व 15
5. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—13.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वास्ते घोषणा रेकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी किए गए, बाद तामील रेस्पोडेंट संख्या 11 नारायणसिंह जी ने अपना इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा शेष का जवाब हेतु प्रकरण नियत रहा। दौराने विचारण वाद रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया एवं वाद विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2016 के द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 से 13 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण का विवेचन किये मात्र चार लाईनों में हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. पर मनन किया गया, अतः प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 व 5, 7, 8 व 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है का जो नोन स्पीकिंग निर्णय पारित किया है, वह आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. के प्रावधानों को ठीक तरह से पढे व समझे तथा अपने मस्तिष्क का बिना प्रयोग किये सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वसीयतनुसार घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया था जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का पूर्ण रूप से विधि अनुसार क्षेत्राधिकार है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से बिना किसी कारण का विवेचन किये गलत एवं अविधिक तरीके से अपीलान्ट के वाद को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने का निर्णय पारित किया है जो विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्ट का

वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वर्णित 6 प्रावधानों में से किस प्रावधान के तहत खारिज योग्य है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. – Procedure on rejecting Plaint - Where a plaint is rejected the judge shall, record on order to that effect with the reasons for such order- उक्त प्रावधान को बिना पढे बिना किसी रिजन का उल्लेख किये निर्णय पारित किया है जो सी. पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि अपीलांट का वाद किस कारण से विधि वर्जित है केवल मात्र वाद को विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त करने की प्रार्थना की तथा साथ ही नारायणसिंह के जीवित होते हुए विरासत का नामांतरकरण तस्दीक होने व नोनद सिंह के वारिसों के नाम नामांतरकरण तस्दीक होने का गलत अंकन किया जिसका विस्तृत जवाब अपीलांट ने प्रस्तुत किया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं अविधिक तरीके से रेस्पोडेंट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का जो निर्णय पारित किया है वह विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि रेस्पोडेट द्वारा वाद में न तो अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार की तनकी कायम कर कोई साक्ष्य नहीं ली तथा अपीलान्ट के वाद को बिना तनकी कायम किये बिना कोई शाहदत लिये प्री–म्येच्योर स्टेज पर खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याति भूल की है जिससे निर्णय विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में कानूनी भूल की है कि अपीलान्ट द्वारा वसीयतनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा रेकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया तथा वसीयत सन 1968 की निष्पादित थी जो तीस वर्षों से अधिक पुराना दस्तावेज होने से संदेह से परे थी तथा उक्त वसीयत को आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई। वसीयत के पश्चात राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राज व विकय अपीलान्ट के हक अधिकारों के प्रति बेअसर है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही होकर वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसके बावजूद भी इन सब तथ्यों को नजर अंदाज कर जो निर्णय पारित किया है वह विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वसीयत सादा कागज पर भी निष्पादित की जा सकती है तथा राजस्थान में कृषि भूमि की वसीयत को प्रोबेट लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर जो निर्णय पारित किया है वह विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काविल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2020(1) आरआरटी 604, 2020(2) आरआरटी 751, 1994 आरआरडी 138 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी ने यह वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 17.03.1968 की साधे कागज पर लिखित दस्तावेज जिसे वह वसीयत बताते है को आधारित कर वाद संस्थित किया है एवं उक्त आधार पर उन्होनें घोषणा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 व 5 लगायत 10 द्वारा वाद में वर्णित भूमि ख०नं० 195, 197, 198, 252, 253, 285, 680, 859, 1062/859 कुल रकबा 48–01–10 में 9/30 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 10.04.2014 को बहुमूल्य प्रतिफल राशि द्वारा अन्तरित किया जा चुका है। उपरोक्त भूमि फतह नाथ पुत्र गंगानाथ सिंह जाति राजपूत निवासी हरमाड़ा के अधिकार, खातेदारी की थी एवं सम्वत् 2024 में उपरोक्त भूमि नोनन्द सिह, हनुमान सिंह व नारायण सिहं के नाम 02.09.1970 को दर्ज की गयी। उपरोक्त नोनन्द सिंह वादी के पिता थे। हनुमान सिंह प्रतिवादी सं० 1 लगायत 10

के पूर्वाधिकारी थे एवं नारायण सिंह प्रतिवादी सं0 11 के पूर्वाधिकारी है। उक्त पश्चात् भी विरासत के नामान्तकरण उपरोक्त नोनन्द सिंह, हनुमान सिंह व नारायण सिंह के देहावसान पश्चात् दर्ज किये जा चुके है। प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तरण सं0 935 दिनांक 20.01.2014 को दर्ज किया गया था। वादी ने जानबुझकर प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं आयु अंकित नहीं की है एवं असद्भाविक रूप से गलत वाद संस्थित किया है। अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया ही विधि से वर्जित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः वकील प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 व 5, 7, 8, 10 द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार कर वादी का वाद निरस्त करने का निवेदन किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा कहे गए कथनों से इंकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 28.04.2016 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी द्वारा प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र खसरा नम्बर 195, 197, 198, 252, 253, 285, 680, 859, 1062/859 कुल किता 9 कुल रकबा 48–01–10 प्रस्तुत किया तथा कथन किए कि उक्त भूमियां वादी की वसीयतशुदा भूमि है, जिसका वादी को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाकर अधिकार अभिलेख में वादी का नाम दर्ज कर व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम हजफ करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 11 फरमाई जावे इस बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को बिना किसी फाईण्डिंग के स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किए जाने के नॉन फाईण्डिंग आदेश पारित किए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित 6 प्रावधानों में से किस प्रावधान के तहत बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है, जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय अगर किसी वाद को बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में मानता है तो उसे उसका उल्लेख भी अपने निर्णय में किया जाना न्यायोचित है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई आधार लिए प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया है।

2020(1)आरआरटी 356

Non-speaking order is not an order in the eye of law

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि वादी/अपीलांट द्वारा कृषि भूमि की आराजीयात में घोषणा व रेकार्ड दुरूस्ती का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसका अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को बिना किसी फाईण्डिंग के खारिज किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा प्रकरण में कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया था, जबकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 नारायण सिंह पुत्र फतेहनाथ सिंह द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.05.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा वादी/अपीलांट द्वारा कहे गए समस्त कथनों की ताईद की गई व किसी भी कथन से इंकार नहीं किया गया।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब प्रतिवादी संख्या 11 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था तो अधीनस्थ नयायालय को उसके आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का सरसरी तौर पर बिना अवलोकन किए वादी/अपीलांट का वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किए जाने के नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किए गए।

न्यायालय हाजा ने माननीय मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया।

आरआरटी–2019(1) पेज–116

" घोषणा के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 जा0दी0 के माध्यम से निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं बंटवारे के वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–7 नियम–11 जा0दी0 के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। "

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.03.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर